संख्या: 5/2018/104/12-2-2018-99/2017

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,
राजकीय उद्यान परिसर, आलमबाग, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च 2018**

विषय: **वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: 10773 दिनांक 06 जनवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कर्मियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू किए जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या: 1/2018/156/कृम0/12-2-2017-99/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2018 के संलग्न पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेविल-13 को शासनादेश संख्या: 11/2017/वे0आ0-2-563/दस-2017-04(एम)2017 दिनांक 27 जुलाई, 2017 के अनुरूप संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या: 01/2018/156/कृ0मं0/12-2-2017-99/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2018 के संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू0 8700/- के लिए संलग्नक की तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित मैट्रिक्स लेवल-13 की कोष्ठिकाओं को स्तम्भ-3 के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. उपर्युक्त संशोधन से हुए वेतन पुनर्निधारण के फलस्वरूप देय वेतन के अवशेष का भुगतान राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

4. पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

5. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या: ई-1-102/दस-2018 दिनांक 12 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या: 5/2018/104 (1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।**
2. **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2/गार्ड फाईल।**

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।